Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

प्रकाशचन्द्र बनाम **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **048** सन् **2024**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2024	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी प्रकाशचन्द्र पिता भगवानलाल पालीवाल निवासी 24 ईलाजी का नीम, गणेशघाटी उदयपुर जिला उदयपुर (मोबाईल 9460421984) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को जरिये रजिस्टर्ड डाक संख्या **RR364944258IN** दिनांक 28.06.2024 से प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2024 के संबंध में प्रथम अपील प्रेषित की गई है। उक्त अपील आवेदन में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित होकर अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यहॉ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत आते है, ऐसी स्थिति में **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा स्वयं अवगत कराया गया है कि अधीनस्थ **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़** को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2024 को प्राप्त हुआ है, इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड डाक ट्रेकिंग प्रस्तुत की गई है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2024 जो कि सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 01.07.2024 को प्राप्त हुआ है कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निस्तारण किये जाने की निर्धारित समायावधि व्यतीत नहीं हुई है एवं अपील अपीलार्थी द्वारा प्री–मैच्योर प्रस्तुत किया जाना प्रतिवेदित होता है, अतः वर्तमान स्थिति में अपील अपीलार्थी ग्रहण योग्य नहीं होने से अपीलार्थी को इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 में आवेदन हेतु निस्तारित समयावधि में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर विधि अनुसार नवीन प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है, इसके साथ ही अधिनियम 2005 की भावनाओं के तहत अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन का निर्धारित समयावधि में निस्तारण करने की कार्यवाही करावें। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील ग्रह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को उपरांकित स्थिति में नवीन अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर अभिलेख में अंकन किया जावें। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें एवं अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (आलोक रंजन) **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी** जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 22.07.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	